न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 35/2021

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. श्रीमती कमला सांखला पत्नि श्री आनंदप्रकाश जाति माली उम्र 75 वर्ष निवासी प्लॉट नम्बर आदर्श कॉलोनी मानसागर , महामन्दिर जोधपुर		1. मनोहर सिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह 2. हरिसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह 3. मोहनसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह 4. स्वरूपसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह 5. श्रवण कुमार पुत्र श्री रणजीतसिंह जातियान माली, निवासीगण चुतरावतों का बेरा, मगरा पूंजला जोधपुर 6. राजस्थान सरकार तहसीलदार जोधपुर 7. श्रीमती मधु पत्नि श्री चेनसिंह जाति परिहार माली उम्र 48 वर्ष निवासी रामसागर बेरा मगरा पूंजला, जोधपुर 8. श्रीमती मोनिका पत्नि श्री रामसिंह सोलंकी जाति माली उम्र 46 वर्ष, निवासी पदाला बेरा मण्डोर जोधपुर 9. महेन्द्रसिंह पंवार पुत्र श्री कनीराम जाति माली उम्र 76 वर्ष निवासी जूनी बागर चौक, छोटी वैदिक कन्या पाठशाला के पास जोधपुर 10. श्रीमती हीरा पत्नि राजेश सोलंकी जाति माली उम्र 58 वर्ष, निवासी बी 63 नरसिंह विहार, मण्डोर जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 1141 ग्राम भदवासिया जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 20.03.2020 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति:-
1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापत उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री किशनाराम चौधरी उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 7, 8 व 9 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश टाक उपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 10 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश राठी उपस्थित।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

निर्णय

दिनांक: 20.02.2025

अपीलान्ट श्रीमती कमला सांखला पत्नि श्री आनंदप्रकाश जाति माली उम्र 75 वर्ष निवासी प्लॉट नम्बर आदर्श कॉलोनी मानसागर महामंदिर जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट मनोहर सिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह जाति माली निवासी चुतरावतों का बेरा मगरा पूंजला जोधपुर व अन्य के विरूद्ध तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 20.03.2020 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1141 ग्राम भदवासिया जोधपुर को निरस्त कराने एवं विवादग्रस्त कृ[illegible] बेचाननामा के अनुसार 1 बीघा 1 बिस्वा के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ह[illegible] हिस्से में से भूमि कम कर नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:37 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपी[illegible] कि अपीलान्ट शहर [illegible] कि स्थायी निवासी है तथा रेस्[illegible] है। ग्राम भदवासिया तह[illegible] जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 91 रकबा 65 बीघा 19 बिस्वा कृषि भूमि में स्व.श्री रणजीतसिंह के नाम की खातेदारी की 1/3 हिस्सा कृषि भूमि है। स्व.श्री रणजीतसिंह द्वारा अपने जीवनकाल मे ही उपरोक्त अपने हिस्से कि भूमि मे से 1 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि का बेचाननामा

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

अपीलान्ट के हक मे दिनांक 24.3.2007 को निष्पादित कर बेचाननामा उप पंजीयक द्वितीय जोधपुर के यहां पर पंजीबद्ध करवा दिया गया था तब से अपीलान्ट ही उक्त कृषि भूमि पर मालिक काबिज है। बेचाननामा पंजीबद्ध किये जाने के बाद पडौस कि भूमि जो कि बेचाननामा मे लिखे गये थे जो कि सहवन व लिपिकिय त्रुटि के कारण गलत दर्ज हो गये थे तथा रणजीतसिंह जी का देहांत भी हो चुका था जिसके कारण रणजीतसिंह के देहांत के बाद उक्त कृषि भूमि रेस्पोडेट सख्या 2 हरिसिंह के हक हिस्सा मे आई थी तथा बर वक्त बेचाननामा भी प्रतिफल कि राशि हरिसिंह के द्वारा ही प्राप्त कि गई जिसके कारण उक्त 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि का मालिक रणजीतसिंह के समय से हरिसिह ही था तथा उनके देहांत के बाद हरिसिंह ही रहा है जिसने अपीलान्ट के पक्ष मे पडौस को सही दर्ज करते हुए तथा अपने हिस्से मे भूमि होना मानते हुए शुद्धि पत्र उप पंजीयक प्रथम के कार्यालय में दिनांक 16.07.2020 को पंजीबद्ध करवाया है जिसमे भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि जिसका बेचाननामा अपीलान्ट के पक्ष मे निष्पादित किया गया है जो कि रेस्पोडेंट हरिसिंह के हक व हिस्से मे रही थी। रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट के पक्ष मे निष्पादित बेचाननामा कि जानकारी होने के बावजूद भी अपीलान्ट के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत नही करवा कर अपने पक्ष मे विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया गया है जो कि गलत व गैर कानूनी है, स्वयं रणजीतसिंह व हरिसिह ने अपीलान्ट को 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि का बेचाननामा निष्पादित कर दिया गया है तो पुरी कृषि भूमि के लिए रणजीतसिंह के नाम का विरासत का नामांतरकरण गलत व गैर कानूनी रूप से भरा गया है तथा राजस्व अधिकारियों से मिली भगत करके अपीलाधीन नामांतरण स्वीकृत करवाया है जिससे व्यथित होकर अपीलाधीन नांमान्तरण संख्या 1141 दिनांक 20.3.2020 अवैध गैर कानूनी, विधि विरूद्ध होने, अपीलान्ट द्वारा विवादित नामांतरण स्वीकृत किये जाने के पहले ही दिनांक 24.3.2007 को जरिए बेचाननामा रणजीतसिंह तथा रेस्पोडेट संख्या 2 हरिसिंह से उपरोक्त कृषि भूमि मे से 1 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि खरीद करने के बावजूद भी हरिसिंह द्वारा उक्त खसरे मे अपीलान्ट कि भूमि को भी शामिल करके अपने पक्ष मे नामांतरण स्वीकृत करवाने, रेस्पोंडेट संख्या 2 हरिसिह द्वारा जायदाद का बेचान होते हुए भी पुरी कृषि भूमि के लिए नामातंरण स्वयं के नाम से स्वीकृत करवाने, अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करवानें, अपीलान्ट के पक्ष मे बेचाननामा व शुद्धि पत्र होने के बावजूद भी अपीलान्ट के हक हिस्से के लिए नामांतरण स्वीकृत नही किया जाने, अपीलान्ट रणजीतसिंह के समय से विवादग्रस्त जायदाद पर खेती करती आई है तथा जिसके कारण उक्त जायदाद पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है तथा नामातंरकरण स्वीकृत किये जाने के समय कब्जे बाबत भी किसी प्रकार कि जांच नही की जाने आदि आधारों पर यह अपील पेश की गयी है। नामान्तरकरण कि कार्यवाही केवल मात्र एक प्रविष्टि कि प्रक्रिया जिससे किसी प्रकार का कोई अधिकार हासिल नही होता है तथा अपीलान्ट के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने के विरूद्ध किसी भी रेस्पोडेन्ट के अधिकारों कि कोई हानि नही होगी तथा पूर्व मे निष्पादित बेचाननामा के आधार पर नामांतरण स्वीकृत किया जा सकेगा। अपीलाधीन आदेश बिना किसी क्षेत्राधिकारिता के पारित किया गया है। अपीलान्ट के पक्ष मे रजिस्टर्ड बेचाननामा रणजीतसिंह द्वारा निष्पादित किया गया तथा उसके पश्चात शुद्धि पत्र हरिसिंह के द्वारा निष्पादित किया गया है जिसके कारण उक्त नामातंरकरण को कभी भी चुनौती दी जा सकती है इसके बावजूद भी नामांतरकरण अपील पेश करने के लिए जो देरी हुई है उसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है तथा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के समय अपीलान्ट पक्षकार नही होने के कारण यह अपील पेश किये जाने के लिए लिव टु अपील का प्रार्थना पत्र भी अलग से पेश किया जा रहा है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 20.03.2020 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1141 ग्राम भदवासिया को निरस्त किया जाकर ग्राम भदवासिया के खसरा संख्या 91 रकबा 65 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से अपीलान्ट के हक हिस्से जो बेचाननामा के अनुसार 1 बीघा 1 बिस्वा के लिए रेस्पोडेन्ट हरिसिंह के हक हिस्से में से भूमि कम करके अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:37 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] ने लिखित बहस पेश की जिसमें अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 20.03.2020 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1141 ग्राम भदवासिया को निरस्त किया जाकर ग्राम भदवासिया के खसरा संख्या 91 रकबा 65 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से अपीलान्ट के हक हिस्से जो बेचाननामा के अनुसार 1 बीघा 1 बिस्वा के लिए रेस्पोडेन्ट हरिसिंह के हक

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

हिस्से में से भूमि कम करके अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के अधिवक्ता श्री किशनाराम चौधरी ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम भदवासिया तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 91 रकबा 65 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से स्व. श्री रणजीतसिंह द्वारा अपने 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि में से अपने जीवनकाल मे ही 1 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि का बेचाननामा अपीलान्ट के हक मे दिनांक 24.3.2007 को निष्पादित कर उप पंजीयक द्वितीय जोधपुर के यहां पंजीबद्ध करवा दिया था। उक्त बेचान की गयी 1 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि रणजीतसिंह के देहांत के बाद रेस्पोडेट सख्या 2 हरिसिंह के हक हिस्सा मे आई थी, जिसने अपीलान्ट के पक्ष मे पडौस को सही दर्ज करते हुए तथा अपने हिस्से मे भूमि होना मानते हुए शुद्धि पत्र उप पंजीयक प्रथम के कार्यालय में दिनांक 16.07.2020 को पंजीबद्ध करवा दिया था। अत: प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को रिमाण्ड कर अपीलान्ट को किये गये बेचाननामा अनुसार 01 बीघा 01 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट हरिसिंह के हक हिस्से में से भूमि कम करके अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 7, 8 व 9 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश टाक ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम भदवासिया तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 91 रकबा 65 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से स्व.श्री रणजीतसिंह ने अपने हिस्से की 1/3 भूमि में से भूखण्ड संख्या क्रमश: 4 व 5 के लिए श्री चैन सिंह परिहार व श्री रामसिंह सोलंकी के पक्ष में दिनांक 08.10.2008 को वसीयतनामा निष्पादित किया। उक्त वसीयतनामा के आधार पर भूखण्ड संख्या 4 का श्री चैनसिंह परिहार ने रेस्पोडेन्ट संख्या 7 श्रीमती मधु व भूखण्ड संख्या 5 का श्री रामसिंह सोलंकी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 8 श्रीमती मोनिका के पक्ष में दिनांक 09.05.2017 बख्शीशनामा निष्पादित किया। उक्त भूमि में से स्व.श्री रणजीतसिंह ने भूखण्ड संख्या 6 के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 9 श्री महेन्द्रसिंह पंवार के पक्ष में दिनांक 14.10.2008 को वसीयतनामा निष्पादित किया। उक्त वसीयतनामा व बख्शीशनामा के अनुसार भूखण्ड संख्या 4, 5 व 6 के लिए रेस्पोडेन्ट हरिसिंह के हक हिस्से में से भूमि कम करके प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को रिमाण्ड करते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 10 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश राठी ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम भदवासिया तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 91 रकबा 65 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से स्व.श्री रणजीतसिंह ने अपने हिस्से की 1/3 भूमि में से भूखण्ड संख्या 02 के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 10 श्रीमती हीरा सोलंकी के पक्ष में दिनांक 31.12.2007 को बख्शीशनामा निष्पादित किया। उक्त बख्शीशनामा के अनुसार भूखण्ड संख्या 02 के लिए रेस्पोडेन्ट हरिसिंह के हक हिस्से में से भूमि कम करके प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को रिमाण्ड करते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया है।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

अपीलान्ट अधिवक्ता व अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस की बहस पर मनन विचारण करने के पश्चात् हम इस निर्णय पर पहुंचते है कि ग्राम भदवासिया तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 91 रकबा 65 बीघा 19 बिस्वा भूमि में रेस्पोडेंटस के पिता स्व. श्री रणजीतसिंह के नाम की खातेदारी की 1/3 हिस्सा भूमि मे से 1 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि का बेचाननामा अपीलान्ट के हक मे दिनांक 24.3.2007 को निष्पादित कर बेचाननामा उप पंजीयक द्वितीय जोधपुर के यहां पर पंजीबद्ध करवाया था। पंजीबद्ध बेचाननामा में पड़ौस की भूमि सहवन व लिपिकिय त्रुटि से गलत दर्ज हो जाने तथा रणजीतसिंह के देहांत के बाद उक्त कृषि भूमि रेस्पोडेट सख्या 2 हरिसिंह के हक हिस्सा मे आई थी जिसके कारण उक्त 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि का मालिक रणजीतसिंह के समय से हरिसिंह श्री थी तथा उनके देहांत के बाद हरिसिंह ही रहा है जिसने अपीलान्ट के पक्ष मे पडौस को सही दर्ज करते हुए तथा अपने हिस्से मे भूमि होना मानते हुए शुद्धि पत्र उप पंजीयक प्रथम के कार्यालय में दिनांक 16.07.2020 को पंजीबद्ध किया गया है जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि जिसका बेचाननामा अपीलान्ट के पक्ष मे निष्पादित किया गया है जो कि रेस्पोर्डेट हरिसिंह के हक व हिस्से मे आई थी तथा रेस्पोडेन्टस की अपीलान्ट के पक्ष मे निष्पादित बेचाननामा कि जानकारी होने के बावजूद भी अपीलान्ट के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत नही करवा कर अपने पक्ष मे विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया लिया गया। इसके अलावा स्व.श्री रणजीतसिंह ने रेस्पोडेन्ट हरिसिंह के हक हिस्से में आई भूमि में से ही भूखण्ड संख्या क्रमश: 4 व 5 के लिए श्री चैन सिंह परिहार व श्री रामसिंह सोलंकी के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:37 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

दिनांक 08.10.2008 को वसीयतनामा निष्पादित किया। उक्त वसीयतनामा के आधार पर भूखण्ड संख्या 4 का श्री चैनसिंह परिहार ने रेस्पोडेन्ट संख्या 7 श्रीमती मधु व भूखण्ड संख्या 5 का श्री रामसिंह सोलंकी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 8 श्रीमती मोनिका के पक्ष में दिनांक 09.05.2017 बख्शीशनामा निष्पादित किया। उक्त भूमि में से स्व.श्री रणजीतसिंह ने भूखण्ड संख्या 6 के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 9 श्री महेन्द्रसिंह पंवार के पक्ष में दिनांक 14.10.2008 को वसीयतनामा व भूखण्ड संख्या 02 के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 10 श्रीमती हीरा सोलंकी के पक्ष में दिनांक 31.12.2007 को बख्शीशनामा निष्पादित किया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने फार्म नं. 3 के संलग्न प्रकरण से संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपि तथा रेस्पोडेन्ट हरिसिंह की ओर से एक शपथ पत्र पेश जिसमें हरिसिंह ने अपने हक हिस्से में से उक्त भूखण्डों के संबंध में यह स्वीकार किया है कि ब्लॉक संख्या 2 में जो भी प्लॉट विक्रय किये गये है व सम्पूर्ण मेरी इच्छा पर विक्रय किये गए है और ऐसे विक्रय से समस्त प्रतिफल की राशि मैंने ही प्राप्त की है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.03.2020 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1141 ग्राम भदवासिया को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक हिस्से तक निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारों एवं हितबद्ध व्यक्तियों को सुनकर नियमानुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण में दर्ज खसरा संख्या 91 रकबा 65 बीघा 19 बिस्वा भूमि में स्व. श्री रणजीतसिंह के 1/3 हिस्से में उनके पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 हरिसिंह के हक हिस्से में से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस 7, 8, 9 व 10 के पक्ष में नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार जोधपुर को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 20.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:37 IST
Reason: SelfAttested